

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) **श्री राहुल**

पीठासीन अधिकारी :- **श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.**

उनवान **नोरंगराम** बनाम **राजस्थान खाका डीलर**

दावा बाबत **नाम डुरस्त**

मुकदमा नम्बर :- **139/2021**

निर्णय दिनांक :- **02-12-2021**

वादी की ओर से **रुद्र** की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **02-12-2021** को **श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.** (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - **राज वादी खाका**

किन्ना खाका स्थिति भूमि रोली ग्राम टिड्डोला के खाना नं 88,89,107 पर शक्ति जेसुराम पुत्र जगन्नाथ के खाने पर नोरंगराम पुत्र राजस्थान खाका डीलर के द्वारा दिए जाते हैं। न्यायालय के द्वारा सुनानुसार राजस्थान टिड्डोला में उपलब्ध है। नाम डुरस्त के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो समस्त जिम्मेदारी वादी की होगी।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **02-12-2021** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

02/12/21
(राहुल सैनी)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चूरु

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर क्री फीस
7. आदेशिका की तामिल		
जोड़		जोड़



नाम डुरस्त **1056**
02-12-2021

खाना नं 107 उपखण्ड के पास